
रांजस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98



IRE Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग П---खण्ड 3---उप-खण्ड (i) PART II-Section 3--Sub-section (i)



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 134]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 1999/फाल्गुन 25, 1920
No. 134]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 1999/PHALGUNA 25, 1920

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1999

सा. का. नि. 210(अ):—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के किसी सदस्य के विरुद्ध जांच करने के लिए प्रक्रिया विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (किसी सदस्य के विरुद्ध जांच करने की प्रक्रिया) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं---(1) इन नियमों जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) ''न्यायाधीश'' से, नियम 3 के अधीन कोई जांच करने के लिए नियुक्त किया गया उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अभिप्रेत है;

(2) प्रयुक्त किए गए शब्दों और पद का और जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) में परिभाषित किया गया है, क्रमश: वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में है।

3. जांच का न्यायाधीश द्वारा किया जाना :---

(1) अब कभी केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य के विरुद्ध कोई जांच करने के युक्तियुक्त आधार हैं, ऐसे वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के किसी लांछन की सत्यता की जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या उसके पद पर बने रहने के कारण उसकी हैसियत का दुरुपयोग लोकहित के प्रतिकूल है वहां वह भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी जांच कराने के प्रयोजन के लिए किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना ऐसे सदस्य को भी दी जाएगी।

[PART 11--SEC. 3(i)]

4. न्यायाधीश की शक्तियां — (1) न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा, किन्तु यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा और उसे अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति होगी जिसके अंतर्गत उसकी जांच का स्थान और समय नियत करना सम्मिलित है।

(2) न्यायाधीश को, इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :--

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए ज़ाने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना; और
- (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना।

[सं. फा. 7-9/98-टी सी ओ] गुरदीप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1999

G.S.R. 210 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules regulating the procedure for conducting inquiry against a Member of the Telecom Regulatory Authority of India, namely: -

1 Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Procedure for conducting inquiry against a Member) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.--(1) In these rules unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);

(b) "Judge" means a Judge of the Supreme Court appointed for conducting an inquiry under rule 3;

(2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. The Judge to conduct inquiry.— (1) Whenever the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry against a member under sub-section (2) of section 7 of the Act, into truth of any imputation of acquisition of such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member or abuse of his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest, it may, after consulting the Chief Justice of India, by notification in the Official Gazette, appoint a Judge for the purpose of conducting such inquiry.

(2) Notice of appointment of a Judge under sub-rule (1) shall also be given to such member.

4. Powers of the Judge.—(1) The Judge shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his enquiry.

(2) The Judge shall have, for the purposes of discharging his functions under these rules, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely interest.

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) receiving evidence on affidavits, and
- (d) subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office.

[No. F. 7-9/98-TCO] GURDIP SINGH, Jt. Secy.